# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No.2020/00142 (Bank Case)
Manual no- 38/2020

वास्तु हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत प्रधान कार्यालय यूनिट 203 एवं 204 द्वितीय तल, "A"Wing. नवभारत एस्टेट, जकारिया बून्दर रोड, सेवरी (पश्चिम) मुम्बई–400015 स्थित व कार्यरत है । जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री दीपक चावला

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री कन्हैयालाल (ऋणी)
   पता– 725, सन्तोषी नगर कोटा, 324009
   दुसरा पता– सर्वे नं. 641, सन्तोषी नगर, जिला–कोटा, 324005
2. श्री मनमोहन (सहऋणी)
   पता– 725, सन्तोषी नगर कोटा, 324009
   दुसरा पता–सर्वे नं. 641, सन्तोषी नगर, जिला–कोटा 324005
3. मोतिया बाई (सहऋणी)
   पता– 725, सन्तोषी नगर कोटा, 324009
   दुसरा पता–सर्वे नं. 641, सन्तोषी नगर, जिला–कोटा 324005
4. श्री प्रदीप कुमार (जमानती)
   पता– 404, वार्ड नं. 14, नाले के पास, सन्तोषी नगर, कोटा, 324009
   दुसरा पता–सर्वे नं. 641, सन्तोषी नगर, जिला–कोटा 324005

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांकः 26.08.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत प्रधान कार्यालय यूनिट 203 एवं 204 द्वितीय तल, "A"Wing. नवभारत एस्टेट, जकारिया बून्दर रोड, सेवरी (पश्चिम) मुम्बई–400015 स्थित व कार्यरत है । खाता संख्या CP0000000010698 से दिनांक 26.12.2017 को 3,00,000/– (अक्षरेः तीन लाख, मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे बंधक अचल सम्पत्ति श्री मनमोहन की जो कि सर्वे नं. 641, सन्तोषी नगर जिला–कोटा, राजस्थन पर स्थित है । जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है । जिसकी माप 67.50 वर्गगज है, जिसकी चर्तुः सीमाएं उत्तर में– मानसिंह का मकान, दक्षिण में–मानसिंह का मकान, पूर्व में– जग भीहान का मकान, पश्चिम में– सड़क, जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जारी किया गया है जिसका उप पंजीयक द्वितीय कोटा द्वारा दिनांक 11.7.2014 को पंजीयन किया गया है । को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं

जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner

कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 31.10.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे 2,95,504/– (अक्षरेः दौ लाख, पिन्चानवें हजार पांच सौ चार मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.10.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 13.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 13.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 13.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता की **बंधक अचल सम्पत्ति श्री मनमोहन की जो कि सर्वे नं. 641, सन्तोषी नगर जिला–कोटा, राजस्थन पर स्थित है । जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है । जिसकी माप 67.50 वर्गगज है, जिसकी चर्तुः सीमाएं उत्तर में– मानसिंह का मकान, दक्षिण में–मानसिंह का मकान, पूर्व में– जग भीहान का मकान, पश्चिम में– सड़क, जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जारी किया गया है जिसका उप पंजीयक द्वितीय कोटा द्वारा दिनांक 11.7.2014 को पंजीयन किया गया है ।** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner